कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक–2091/भू–अर्जन/2025–26 दिनांकः–03,सितम्बर, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित करना है कि श्री मुकेश जोशी पुत्र स्व0 श्री जीतमणी जोशी निवासी पी–2/18 ब्लॉक–9, कैलाशधाम अपार्टमेंट, सैक्टर –50, नोएडा, द्वारा ग्राम चालंग स्थित अपनी निजी स्वामित्व की भूमि खसरा नं0–744ख मि0, रकबा–4.9390 है0 भूमि पर शासनादेश संख्या–506/वी0/आ0–1058/वी–2–2017 दिनांक 15/09/2017 के अनुसार (मॉडल नं0–3 किफायती आवास परियोजना, निजी निर्माणकर्ता द्वारा निजी भूमि में) के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से प्रधानमंत्री आवास योजना (उत्तरा आवास योजना) के अन्तर्गत एल0आई0जी0/ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु एफोरडेबल ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–आर–1740/17–18 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27/08/2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल–3 के अनुसार उल्लिखित शशर्तो के अधीन मानचित्र को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त श्री मुकेश जोशी द्वारा मॉडल–3 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में प्राधिकरण में लेबर सेस वांछित धनराशि जमा न करने तथा आवश्यक अग्नि विभाग की अनापत्ति पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत न करने एवं प्राधिकरण से विकास अनुबन्ध प्रक्रिया पूर्ण न करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्रस्तावित अपने स्वामित्व की उक्त निजी भूमि भिन्न–भिन्न लोगों को विक्रय कर दी गयी। जिनमें से मै0 वी0के0 ग्लास' प्रा0 लि0 व श्रीमती इच्छा जोशी, के द्वारा प्राधिकरण से 02 अलग–अलग प्लॉटेड लेआउट मानचित्र सशुल्क स्वीकृत कराते हुये भूखण्ड भिन्न–भिन्न लोगों को विक्रय किये गये, जिनमें क्रेतागणों द्वारा प्राधिकरण से नियमानुसार आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराते हुये आवासीय भवनों का निर्माण किया गया। अन्य जिन लोगों द्वारा बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किया गया, उनके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार चालानी कार्यवाही करते हुये सीलिंग/मानचित्र शमन की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्राधिकरण द्वारा श्री मुकेश जोशी के नाम पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन (उत्तरा आवास योजना) के अन्तर्गत एल0आई0जी0/ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत एफोरडेबल ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–आर–1740/17–18 निरस्त हो चुका है।

अतः आम जनमानस को सूचित करना है कि विभिन्न शोशल मीडिया एकाउण्टस् एवं नवोदय टाईमस् देहरादून में दिनांक 02/09/2025 को प्रसारित/प्रकाशित खबर " **प्रधानमंत्री आवास योजना में 500 करोड़ का घोटाला कर गयी सरकार/ग्राम चालंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो नक्शा एम0डी0डी0ए0 ने पास किया उस पर गरीबों के आशीयानों की जगह अमीरों की कोठियां खड़ी हो रही है।** " का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन किया जाता है, चूँकि प्रकाशित एवं प्रसारित उक्त खबर वेबुनियाद, आधारविहीन तथा खबर को प्राधिकरण की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने वाली झुठी खबर है। आम जनमानस को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त ग्राम चालंग में प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार प्राधिकरण अथवा सरकार द्वारा ग्राम चालंग में प्रधानमंत्री आवास योजना में 500 करोड़ का घोटाला किये जाने की खबर असत्य एवं निराधार है।

आज्ञा से,

03/9/25

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।